



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2374]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2016/आश्विन 8, 1938

No. 2374]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016/ASVINA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

का. आ. 3097(अ).—केन्द्रीय सरकार में, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838 (अ) दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा जिनमें बाद में संशोधन किए गए थे ("उक्त नियम"), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना का.आ. 346 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 द्वारा यह अधिसूचित किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर 178.200 कि.मी. से 161.034 कि.मी. तक (नया चैनेज 1366.547 कि.मी. से 1383.713 कि.मी. तक) नेल्लोर बाईपास सेक्शन (उक्त सेक्शन) के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा सविकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचना का.आ. 346(अ) तारीख 4 फरवरी, 2015 को संशोधित करती है तथा टिप्पणियों के पैरा 10 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

31.03.2016 को परियोजना की पूंजीगत लागत 123.24 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ताशुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/625/सीओ/16-17/जी सी नेल्लोर बाइपास]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2016

S.O. 3097(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and subsequent amendments (the “said Rules”), the Central Government, vide notification S.O. 346(E), dated 4th February, 2015 has notified that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Nellore Bypass section from km 178.200 – km 161.034 (New Chainage from km 1366.547 to km 1383.713) on the National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh (the “said section”), and has authorized the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby amend the notification S.O. 346(E), dated 4th February, 2015 and the para 10 of notes shall be substituted as follows:

The capital cost of the project is Rupees 123.24 Crore as on 31.03.2016. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/625/CO/16-17/GC Nellore Bypass]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.